

3. विद्यालयों को मान्यताएं :-

- (i) माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता देने में नियमों का पालन कठोरता से किया जाये। किसी भी विद्यालय (को) वेडें द्वारा मान्यता तभी दी जाये, जब वह मान्यता सम्बन्धी सभी शर्तों को पूरा करे।
- (ii) जो प्रबन्ध समितियां मान्यता प्राप्त करने के बाद विद्यालय को सही ढंग से न चला पाये, उन्हें चेतावनी दी जाये और वे फिर भी असमर्थ हो तो ऐसे विद्यालयों की मान्यता समाप्त कर दी जाये।

4. विद्यालय का निरीक्षण :-

- (i) विद्यालयों के निरीक्षण हेतु पर्याप्त मात्रा में निरीक्षक नियुक्त किये जायें।
- (ii) निरीक्षण अगस्त में विद्यालयों निरीक्षकों के आतिरेक माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य और शिक्षक (प्रशिक्षक महाविद्यालयों के अनुभवी प्राध्यापक रखे जायें।

माध्यमिक शिक्षा के संगठन सम्बन्धी सुझाव :-

- (i) माध्यमिक शिक्षा जूनियर बेसिक शिक्षा के बाद शुरू हो।
 - (ii) यह शिक्षा 11 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए हो और इसकी अवधि 7 वर्ष हो।
 - (iii) वर्तमान इष्टरमीडियट कक्षा को समाप्त करके उसकी 10वीं कक्षा को माध्यमिक शिक्षा में और 12वीं कक्षा को डिग्री कोर्स में जोड़ दिया जाये।
 - (iv) ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक स्कूलों में कृषि शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाये।
- माध्यमिक स्तर पर बहु उद्देश्य स्कूल खोले जायें।
बड़े शहरों में पॉलीटेक्निक कालेज खोले जायें।
विकलांग बच्चों के लिए विशिष्ट विद्यालय खोले जायें।

- (iii) बाह्यिकाओं के लिए अंग्रेजी से बहुरिकी विद्यालय है खोलें जायें। (i)
- (ix) आवासीय महाविद्यालय के माध्यमिक विद्यालय के बड़ी संख्या में खोलें जायें।

माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य सम्बन्धी सुझाव:-

आयोग ने तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा को उद्देश्यहीन बताया है और कहा कि यह बच्चों को वास्तविक जीवन के लिए तैयार नहीं करती है। उसने माध्यमिक शिक्षा के चार उद्देश्य निश्चित किये हैं।

- (i) व्याक्तित्व का विकास। (i)
- (ii) लोकतंत्रीय भागीरता का विकास।
- (iii) नेतृत्व शक्ति का विकास। (ii)
- (iv) व्यावसायिक कुशलता का विकास।

माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या सम्बन्धी सुझाव:-

आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या के निर्माण के चार आधारभूत सिद्धांतों पर बल दिया —

- (i) पाठ्यचर्या वास्तविक जीवन से सम्बन्धित हो कर पूरा कर दाल समाज में सम्मानपूर्वक रह सके।
- (ii) पाठ्यचर्या व्यापक एवं लचीली हो, जिसे दाल अपनों इच्छाओं के अनुसार विषयों का चयन कर सके।
- (iii) पाठ्यचर्या में ऐसे विषयों का समावेश हो, जिनसे दाल अपने अवकाश के समय का सदुपयोग कर सके।
- (iv) पाठ्यचर्या के समस्त विषयों एवं क्रियाओं में सहसम्बन्ध हो।

माध्यमिक शिक्षण विधियों सम्बन्धी सुझाव:-

आयोग ने शिक्षण विधियों में सुधार के लिए निम्न-लिखित सुझाव दिए।

1. ऐसी विधियों का प्रयोग करना चाहिए जो सड़क, सांख्यिक और प्रतिभाशाली, सभी स्तरों के लिए उपयोगी हो। शिक्षण में रुचने पर बल न देकर, समझने पर बल देना चाहिए। तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए दृश्य-श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए।

2. छात्रों को सीखे हुए ज्ञान एवं कियामों के प्रयोग के अवसर प्रदान किये जायें।

माध्यमिक स्तर की पाठ्य-पुस्तकों के सम्बन्ध में सुझाव:-

1. किसी भी कथा के लिए भाषा की पाठ्य-पुस्तकें निर्दिष्ट हो जिससे परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने में कोई परेशानी न हो।

2. पाठ्य पुस्तकों में ऐसे प्रसंग न हो, जिनसे किसी वर्ग विशेष को बेस पढ़ेंगे।

3. पाठ्य पुस्तकें बार-बार न बदली जायें।

माध्यमिक स्तर पर चरित्र-निर्माण एवं अनुशासन सम्बन्धी सुझाव:-

1. छात्रों में अनुशासन की भावना विकसित करने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक और छात्रों के बीच निकट का सम्बन्ध हो।

2. छात्रों के चरित्र-निर्माण और अनुशासन का उत्तर-दायित्व सभी शिक्षकों का होना चाहिए।

3. विद्यालय में खेल-कूद, स्काउटिंग, रूम-सी.सी. आदि की व्यवस्था की जायें। इन कियामों में भाग लेने से छात्रों में अनुशासन आता है।